न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–21/2019/आवेदन अं0 धारा 111 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. प्रतिभा देवी धर्मपत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासिनी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. कविता देवी धर्मपत्नि राकेश जाति जाट निवासिनी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

–प्रार्थीयागण

ब ना म

1. गोपाल }
2. हरफूल } पुत्रगण भूदा
3. रामेश्वर }
4. मंजूदेवी पत्नि स्व0 सांवरा
5. जितेन्द्र पुत्र सांवरा उम्र 14 वर्ष } नाबालिग जरिये संरक्षिका
6. मोनिका पुत्री सांवरा उम्र 12 वर्ष } माता मंजूदेवी पत्नि सांवरा
7. गोरली पत्नि भूदा (हजफ)
8. गंगाराम पुत्र भूरा

   समस्त जाति जाट निवासीगण सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मंण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
10. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मंण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
12. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अनावेदकगण

आवेदन अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थियागण की ओर सें।

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.21 है0 किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर वाके ग्राम सांवलपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो आवेदिकागण की एकल खातेदारी की भूमियां है जिस पर आवेदिकागण काबिजकाश्त चली आ रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने आवेदिकागण की भूमि खसरा नम्बर 554 की सीमाओं को पूर्व दिशा सें दबाकर अपनी भूमि खसरा 556 में मिला लिया है तथा अनावेदकगण लगातार आवेदिकागण की भूमि खसरा

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

नम्बर 553 व 554 की सीमाओं को नष्ट भ्रष्ट कर अपनी भूमि में मिलाने की फिराक में है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो जायेंगे तो आवेदिकागण के वैद्य अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूरणीय क्षति होगी इसलिए गत भू प्रबंध की नयी नक्शा सर्वेशीट के अनुसार आवेदिकागण एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी भू के मध्य सीमा विवाद के निपटारे हेतु नपती करवाई जाकर पुख्ता नींव सींव कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित, आवश्यक व न्यायसंगत है।

2. आवेदन पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदिका संख्या 7 फौत हो चुकी है तथा इसके वारिसान पूर्व सें ही प्रकरण में पक्षकार है अतः वकील आवेदिकागण के आवेदन पर अनावेदिका संख्या 7 गोरली का नाम हजफ किया गया। आवेदन अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर वकील आवेदिकागण की बहस सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम सांवलपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबी संवत् 2070–73 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 553, 554 किता 2 कुल रकबा 1.71 हैक्टर की खातेदारी आवेदिकागण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का अलोदा दिनांक 31.05.2018 को मय भूप्रबंध टीम सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः आवेदिकागण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर आवेदिकागण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि वादी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2018 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थियागण/आवेदिकागण की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner